न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 57/2007 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

दिव्यांशु पुत्र श्री रामअवतार उम्र 5 वर्ष नाबालिग वजरिये सरपरस्ती नानी श्रीमती कृष्णा शर्मा पत्नी राजकुमार शर्मा कौम ब्राहम्ण निवासी बसई नवाव तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर ।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामअवतार
2. रामप्रकाश } पिसरान शिवचरन
3. सतीश
4. पोदा उम्र 9 वर्ष } पिसरान रामप्रकाश नाबालिग वसरपरस्ती मॉ सुधा पत्नी रामप्रकाश
5. भूरा उम्र 7 वर्ष
6. कृष्ण उम्र 7 वर्ष
7. जगमोहन पुत्र नत्थीलाल कौम ब्राहम्ण समस्त निवासीगण ग्राम बसई नवाव तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दिनांक 30.03.07 मि.नं. 34/2004 उनवानी दिव्यांशु बनाम रामअवतार।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे वकील अपीलांट।
2. श्री नत्थीलाल शर्मा अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–15.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहाायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2007 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी द्वाराएक दावा विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा

नम्बर 4692 रकवा 02 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम बसईनवाव तहसील सैपऊ के 1/6 भाग के खातेदार काश्तकार अपीलाण्ट/वादी के बाबा शिवचरन थे एवं अपीलाण्ट/वादी का विवादित आराजी में जन्म से अधिकार है। विवादित आराजी अपीलाण्ट/वादी एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण 01 लगायत 6 की पैतृक सम्पत्ति है। इस प्रकार अपीलाण्ट/वादी एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 6, विवादित आराजी में वहिस्सा बराबर 1/42–1/42 भाग के खातेदार काश्तकार हैं। रैस्पो0/प्रतिवादीगण विवादित आराजी से अपीलाण्ट/वादी को बेदखल करने तथा भूमि को अन्य को विक्रय करने की धमकी देते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में 1/36 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करने तथा अभिलेख में इन्द्राज कराये जाने एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कायदे कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय नें यह समझने में भूल की है कि अपीलाण्ट एक साल की उम्र में ही सहदाय सम्पत्ति जो शिवचरन के नाम थी, जिसमें अपीलाण्ट 1/16 भाग का खातेदार काश्तकार था एवं मौके पर काबिज था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा कराये गये बयान पी0डब्ल्यू0 1, 2 एवं दस्तावेजी साक्ष्य साविक जमाबन्दी जो अपीलाण्ट के बाबा के नाम से है, पर ध्यान ना देकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में मात्र इस बात पर अधिक जोर दिया है कि सुनीता,गीता, भगवानदेई, शिवचरन के उत्तराधिकारी हैं, उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है, जबकि कानूनन सहदाय सम्पत्ति में तत्कालीन हिन्दु विधि के मुताबिक महिलाओं को कोई अधिकार नही थे। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के सुनीता, गीता व भगवानदेई, शिवचरन के उत्तराधिकारी होने के बाबत् कोई साक्ष्य एतराजकर्ता रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 07 जगमोहन द्वारा प्रस्तुत नहीं किये हैं, महज जगमोहन के जवबा दावे के आधार पर, अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए, विवादित आराजी में 1/16 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवदेन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी में अपीलाण्ट का कब्जा काश्त नहीं है। अपीलाण्ट के पिता जीवित हैं, जो अपने हिस्से की आराजी पर काबिज हैं। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट/वादी द्वारा वाद में मृतक शिवचरन के जायज वारिसान् में दो पुत्री सुनीता, गीता व शिवचरन की वेवा भगवानदेई जीवित हैं, उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है, जो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 की समुचित विवेचना कर, निष्कर्ष निकाला जाकर अपीलाधीन

आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। यह मूलभूत सिद्धान्त है कि वाद की विषय वस्तु सुपरिभाषित स्पष्ट हो। अपीलाण्ट/वादी ने दावे में अपने बाबा शिवचरन को आराजी खसरा नम्बर 4692 रकवा 02 बीघा 05 विस्वा में 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार बताया जाकर, विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 6 को वहिस्सा बराबर 1/42–1/42 भाग का खातेदार काश्तकार होना कथन किया है, फिर दावें के अन्त में स्वयं को विवादित आराजी में 1/36 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। इसके अलावा, अपील में 1/16 भाग पर खातेदारी अधिकार का अनुतोष चाहा गया है। यह कमी वाद की सफलता के लिए घातक है क्योंकि वाद की विषय वस्तु सुपरिभाषित स्पष्ट होनी चाहिए। इस प्रकार वाद व अपील के कथनों में अन्तर है। अपीलाण्ट/वादी द्वारा विवादित आराजी के कितने हिस्से पर घोषणा चाही जा रही है, अस्पष्ट है। इस तथ्य को नजर अन्दाज भी किया जावें तो भी अपीलाण्ट/वादी ने, वाद को सिद्ध करने हेतु केवल प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत 2055–58 पेश की है, जिसमें खाता संख्या 74 में अंकित खसरा नम्बर 4692 में शिवचरन का 1/6 हिस्सा अंकित है, के अतिरिक्त कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वाद को सिद्ध करना वादी का दायित्व है। इसके अतिरिक्त अपलीण्ट/वादी द्वारा अपील में वक्त दायरी दावा, सहवन से 1/42 गलत दर्ज होना अंकित करते हुए, उसे सुधार कर 1/16 किये जाने की प्रार्थना की गई है। अपीलाण्ट/वादी का उक्त कथन, अपील में ग्राह्य नहीं है। अपील के माध्यम से दावें में सहवन से अंकित गलत तथ्यों को सुधारा जाना, विधिसम्मत नहीं है। अतः मूल दावें में ही संशोधन किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट में कोई बल नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज समझते हैं।

6. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2007 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)

आर.ए.एस.

भू प्रबंध अधिकारी पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी

भरतपुर